सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष : 2017–2018

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in

Email : rajtaxboard@yahoo.co.in, rajasthantaxboard@rajasthan.gov.in

0145- 2627803 (Phone & Fax)

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना, गठन	3
2.	संगठनात्मक ढांचा, प्रशासनिक एवं न्यायिक पद	4
3.	वर्तमान गठन, बजट स्थिति, पुस्तकालय एवं वर्षवार प्रकरणों की स्थिति	5
4.	वर्ष 2017 को प्रकरणों की स्थिति	6
5.	पदस्थापित अधिकारीगणों के कार्यालय/निवास दूरभाष नम्बर एवं सूचना का अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारी	7
6.	सार संक्षेप	8

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 – 2018

प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये है जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

3.0 ***गठन :***

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है तथा वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य पदस्थापित है। कर बोर्ड में पदस्थापित सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। कर बोर्ड में सदस्य पद पर चयन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम, 9 में निहित प्रकिया के अनुसार किया जाता है।

3.1 कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते है।

राजस्थान कर बोर्ड के रेग्यूलेशन–17 (नियम अधिनियम) भी राजस्थान राज–पत्र (Rajasthan Gazette) में प्रकाशित किये जा चुके है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित है

कर बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :

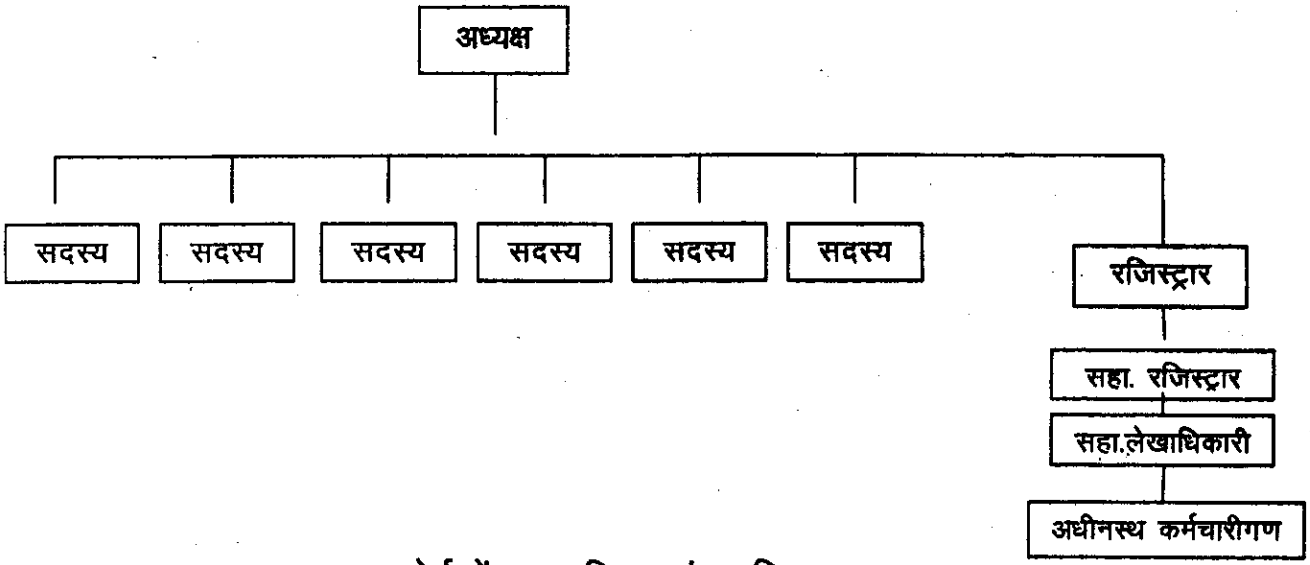

3.2 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष (आई.ए.एस.)	1	1	–
2.	सदस्य	6	5	1
3.	रजिस्ट्रार	1	1	–
4.	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	–
5.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	–
6.	निजी सचिव	2	2	–
7.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	–	1
8.	निजी सहायक	1	–	1
9.	आशुलिपिक	4	–	4
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–II	1	1	–
12.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	–
13.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	4	–
14.	वरिष्ठ सहायक	7	6	1
15.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	–
16.	कनिष्ठ सहायक	10	3	7
17.	सूचना सहायक	2	2	–
18.	वाहन चालक	4	3	1
19.	जमादार	1	1	–
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	12	2
21.	प्रोसेस सरवर	2	2	–
	योग	67	49	18

नोट : सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्व सूचना सहायक की नियुक्ति ।

4.0 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री वी.श्रीनिवास	अध्यक्ष	10.07.2017 से निरन्तर .....
2.	श्री राजीव चौधरी	सदस्य	11.03.2016 से निरन्तर .....
3.	श्री नत्थूराम	सदस्य	24.08.2016 से निरन्तर .....
4.	श्री के.एल.जैन	सदस्य	02.11.2016 से निरन्तर .....
5.	श्री मदनलाल मालवीय	सदस्य	08.02.2017 से निरन्तर .....
6.	श्री ओमकार सिंह आशिया	सदस्य	01.11.2017 से निरन्तर .....
7.	श्री गिरधरगोपाल सिंघानियां	रजिस्ट्रार	10.07.2015 से निरन्तर .....
8.	श्री कांतिलाल जसोल	सहा.रजिस्ट्रार	29.11.2016 से निरन्तर .....

5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2017–2018 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन (B.E.)	दिसम्बर, 2017 तक (रू.) व्यय
1	संवेतन	360.00	258.16
2	यात्रा भत्ता	4.00	3.84
3	चिकित्सा व्यय	3.00	0.71
4	कार्यालय व्यय	35.00	18.38
5	वाहन क्रय	.01	—
6	वाहन संधारण	4.50	3.29
7	भवन मरम्मत	2.00	1.24
8	पुस्तकालय	1.50	1.15
9	वाहन किराया	8.00	7.25
10	वर्दी	0.35	0.32
11	संविदा व्यय	4.50	1.93
12	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	5.00	4.95

6.0 पुस्तकालय :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय पीठ एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में **8957** पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :

वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	वाद	2015 (दिनांक 31.12.15)	2016 (दिनांक 31.12.16)	2017 (दिनांक 31.12.17)
1.	बकाया प्रकरण	8587	9136	9614
2.	दायर प्रकरण	2477	2961	2153
3.	निस्तारित प्रकरण	1928	2483	3743
4.	शेष प्रकरण	9136	9614	8024

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्टाम्प एक्ट के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि दस लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि रूपये दस लाख से अधिक है, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2013 द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम 2 के खण्ड (iii) में किये गये संशोधन के अनुसार एकलपीठ द्वारा अपील प्रकरणों की सुनवाई की सीमा रूपये 5.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 10.00 लाख प्रतिस्थापित की गयी हैं। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2017–18 के दौरान दिसम्बर, 2017 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :–

1.1.2017 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
4772	4842	9614

वर्ष 2017

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					*BF 4772	4842	9614
जनवरी	104	99	123	185	4753	4756	9509
फरवरी	121	91	104	184	4770	4663	9433
मार्च	108	130	124	212	4754	4581	9335
अप्रेल	95	47	125	186	4724	4442	9166
मई	120	106	457	220	4387	4328	8715
जून	121	49	205	139	4303	4238	8541
जुलाई	76	37	121	112	4258	4163	8421
अगस्त	108	36	106	163	4260	4036	8296
सितम्बर	80	39	199	64	4141	4011	8152
अक्टूबर	78	79	183	85	4036	4005	8041
नवम्बर	118	110	132	74	4022	4041	8063
दिसम्बर	114	87	124	116	4012	4012	8024

* पिछला अग्रेसित

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में तीन एकलपीठ (एस.बी.) तथा माह के प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह के सभी कार्य दिवस एवं माह के तृतीय व पंचम् सप्ताह के अंतिम दो दिवस में खण्डपीठ (डी.बी.) द्वारा प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसी प्रकार मुख्यालय पर वर्ष 2010 तक के पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु माह के प्रत्येक गुरूवार को विशेष खण्डपीठ एवं माह के प्रत्येक शुक्रवार को विशेष एकलपीठ का गठन किया जाकर विचाराधीन पुराने प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोज़ित की जाती है। जिसमें तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में तथा तृतीय सप्ताह एवं पंचम् सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त शेष कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। इसी प्रकार कैम्प जयपुर में वर्ष 2010 तक के पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु माह के तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में बुधवार को विशेष खण्डपीठ एवं शुक्रवार को विशेष एकलपीठ का गठन किया जाकर विचाराधीन पुराने प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुंनूं, दौसा, एवं चूरू जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

बजट वर्ष 2014–15 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा के पैरा 407 की घोषणा के अनुसार *"डीलर्स की सुविधा के लिये राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों को दिनांक 01.09.2014 से वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा"*, की अनुपालना में कर बोर्ड द्वारा पारित समस्त निर्णयों का प्रदर्शन विभागीय वेबसाईट **www.taxboard.rajasthan.gov.in** पर माह जनवरी, 2014 से निरन्तर किया जा रहा है।

10. **राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :–**

क्रमांक	*नाम*	*पद*	*मोबाईल*	*मुख्यालय*	*कैम्प जयपुर*	*निवास*
1	श्री वी.श्रीनिवास	अध्यक्ष	9560939977	0145–2627903	0141–2228790	0145–2624657
2	श्री राजीव चौधरी	सदस्य	9414752049	0145–2627703	0141–2229142	–
3	श्री नत्थूराम	सदस्य	9829348729	0145–2627296		–
4	श्री के.एल.जैन	सदस्य	9414122437	0145–2622981		–
5	श्री मदनलाल मालवीय	सदस्य	9414056094	0145–2429740		–
6	श्री ओमकार सिंह आशिया	सदस्य	9799919700	0145–2627675		–
7	श्री गिरधरगोपाल सिंघानियां	रजिस्ट्रार	9413973856	0145–2627803		–
8	श्री कांतिलाल जसोल	सहायक रजिस्ट्रार	9929275767	0145–2627803		–

11. **सूचना के अधिकार के अंतर्गत :–**

: लोक सूचना अधिकारी :
श्री गिरधरगोपाल सिंघानिया,रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627803 (Phone & Fax)
(Mo.) 9413973856

: विभागीय अपीलेट ऑथोरिटी :
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627903 (Phone)
(Mo.) 9560939977

12. **: मुख्य सतर्कता अधिकारी :**
श्री गिरधरगोपाल सिंघानिया,रजिस्ट्रार
Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) 9413973856 (Mo.)

सार संक्षेप :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर **'राजस्थान कर बोर्ड'** कर दिया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। साथ ही राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरूद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है।

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है तथा वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य पदस्थापित है। कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते है।

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहद्पीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुख्यालय/कैम्प जयपुर में पुराने प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष खण्डपीठ/विशेष एकलपीठ का गठन किया जाकर प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

बजट वर्ष 2014–15 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा के पैरा 407 की घोषणा के अनुसार कर बोर्ड द्वारा पारित समस्त निर्णयों का प्रदर्शन विभागीय वेबसाईट **www.taxboard.rajasthan.gov.in** पर माह जनवरी, 2014 से निरन्तर किया जा रहा है।